

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E -33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वैक्सीनेटरों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

(इस से सुझा)

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद, वैक्सीनेटर	राजकीय पशु चिकित्सालय कफड़खान, जनपद-अल्मोड़ा	राजकीय पशु चिकित्सालय चोरगलिया, जनपद-नैनीताल	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को आदेशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/- (डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 886

/स्था०-03/वार्षिक स्थानान्तरण-वैक्सीनेटर/2025-26

दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि:-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संबंधित कार्मिक को परिपालनार्थ।

पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय कफड़खान/चोरगलिया।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।

मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।

निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E -33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वैक्सीनेटर का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम्-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (सुगम से सुगम)

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भुवन चन्द्र पन्त, वैक्सीनेटर	राजकीय पशु चिकित्सालय चोरगलिया, जनपद-नैनीताल	राजकीय पशु चिकित्सालय लालकुआं जनपद-नैनीताल	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को आदेशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/- (डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 887 /स्था०-03/वार्षिक स्थानान्तरण-वैक्सीनेटर/2025-26

दिनांक 10-06-2025

- प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- संबंधित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय चोरगलिया/लालकुआं।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E -33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वैक्सीनेटरों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-18 (3) पारस्परिक स्थानान्तरण (दुर्गम से दुर्गम) के आधार पर स्थानान्तरण

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री खुशाल सिंह, वैक्सीनेटर	राजकीय पशु चिकित्सालय खाती, जनपद-बागेश्वर	राजकीय पशु चिकित्सालय कपकोट, जनपद-बागेश्वर	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्री धाम सिंह, वैक्सीनेटर	राजकीय पशु चिकित्सालय कपकोट, जनपद-बागेश्वर	राजकीय पशु चिकित्सालय खाती, जनपद-बागेश्वर	

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को आदेशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/- (डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक ४४९ /स्था०-03/वार्षिक स्थानान्तरण-वैक्सीनेटर/2025-26

दिनांक 10/06/25

- प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- संबंधित कार्मिक को परिपालनार्थ।
 - 2- पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय खाती/कपकोट।
 - 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
 - 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E -33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2* दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वैक्सीनेटर का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (खुगम से खुगम)

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री करुणा निधान, वैक्सीनेटर	राजकीय पशु चिकित्सालय कोटाबाग, जनपद-नैनीताल	राजकीय पशु चिकित्सालय प्रतापपुर, जनपद-उधमसिंहनगर	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को आदेशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. निर्गत आदेश दिनांक 30.06.2025 को रिक्त होने वाले पद पर प्रभावी होगा।

4. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/- (डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 888 /स्था०-03/वार्षिक स्थानान्तरण-वैक्सीनेटर/2025-26

दिनांक 10/06/25

प्रतिलिपि:-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संबंधित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय कोटाबाग/प्रतापपुर।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/उधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंहनगर।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।